संख्या 11011/1(बी)/2018-हिंदी

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

(हिंदी अनुभाग)

*****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक: 11 सितम्बर, 2018.

सेवा में,

विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों/उपक्रमों के प्रमुख।

विषय:- <u>हिंदी दिवस (14 सितम्बर 2018) के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का संदेश तथा माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से अपील।</u>

महोदय,

हिंदी दिवस (14 सितम्बर, 2018) के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी के संदेश की प्रति संलग्न है। यह संदेश राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है। इस अवसर पर माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से जारी अपील भी संलग्न है।

अनुरोध है कि अपनी सभी परियोजनाओं/कार्यालयों आदि को माननीय गृह मंत्री जी के संदेश तथा माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अपील आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

(अमित प्रकाश)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 23736275

ई-मेल: amit.prakash63@nic.in

प्रतिलिपि:- विद्युत मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी।

सत्यमेव जयते

हिंदी दिवस 2018 के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का संदेश

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासी बहिनो एवं भाइयो !

हिंदी दिवस पर आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

भाषा, किसी भी राष्ट्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर की संवाहिका होती है और भाषायी एकता से ही राष्ट्र की अखण्डता सुदृढ़ होती है। कोई भी देश स्वभाषा के बिना अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को मौलिक रूप से परिभाषित नहीं कर सकता।

पुरातन काल से 'हिंदी' हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती आ रही है और आज वह भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ–साथ भारत के संविधान में वर्णित भावनात्मक एकता को मजबूत करने का भी माध्यम है। हिंदी ने भारतीय संस्कृति से संविधान निर्माण प्रक्रिया तक और पुरातन युग से स्मार्ट फोन के प्रयोग तक का लंबा सफर तय करते हुए हमारी सामासिकता को अक्षुण्ण रखने में महती भूमिका निभाई है और देशवासियों में अनेकता में एकता की भावना को भी पुष्ट किया है।

जिस देश के नागरिक अपनी भाषा में सोचें और लिखें, विश्व उस देश को सम्मान की दृष्टि से देखता है। भारत जैसे विशाल, बहुभाषी और प्रजातांत्रिक देश की चहुँमुखी विकास प्रक्रिया में हिंदी के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं की भी अहम भूमिका रही है। हमारे देश की सभी भाषाएँ और बोलियाँ हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक धरोहर हैं और इनका प्रयोग एवं प्रचार–प्रसार करना, यह हमारा कर्तव्य है।

भारतीय संविधान द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 1949 को धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परंपराओं को जोड़ने की कड़ी और अधिकांश देशवासियों द्वारा बोली एवं समझी जाने वाली, 'हिंदी भाषा' को 'संघ की राजभाषा' के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही, संघ सरकार को यह महत्वपूर्ण दायित्व भी सौंपा गया कि वह अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली एवं पदावली को आत्मसात करते हुए हिंदी भाषा का विकास करे ताकि वह भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

आज कोई भी भाषा कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रह कर जन–मानस से जुड़ी नहीं रह सकती। वर्तमान में डेटाबेस के आधार पर मशीनी अनुवाद के जरिए पूरे विश्व में अनुवाद कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के कामकाज में अत्यधिक मात्रा में नियमित आधार पर किए जाने वाले अनुवाद कार्य में लगने वाले अतिशय मानव संसाधन और समय को बचाने के लिए राजभाषा विभाग ने सी–डैक, पुणे की सहायता से 'कंठस्थ' नामक अनुवाद सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने भी एक अभिनव पहल करते हुए 'हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र' की स्थापना की है ताकि कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए नवीन ई–टूल्स विकसित किए जा सकें।

निज भाषा के प्रति स्वाभिमान और हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान एवं तकनीकी कुशलता ही हिंदी में कार्य करने का मुख्य आधार है । मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों आदि में इन सॉफ्टवेयरों के अधिकाधिक प्रयोग से द्विभाषीकरण यानि अनुवाद कार्य अपेक्षाकृत सरल होगा और इससे राजभाषा कार्यान्वयन को गति मिलेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी के मौजूदा दौर में हमें हिंदी के विभिन्न ई–टूल्स जैसे यूनिकोड, हिंदी की–बोर्ड, लीला स्वयं हिंदी शिक्षण सॉफ्टवेयर, अनुवाद ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म, श्रुतलेखन, ई–महाशब्दकोश आदि का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

मॉरीशस में 18–20 अगस्त, 2018 को आयोजित किए गए 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भी यह तथ्य उजागर हुआ है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी तेजी से अपनी नई पहचान स्थापित कर रही है। तथापि, पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को वह उच्चतम स्थान दिलाने के लिए कटिबद्ध होना होगा जिसकी वह अधिकारिणी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक एवं सार्थक प्रयासों से निकट भविष्य में हमें सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे।

मेरे प्रिय देशवासियो, हमें हिंदी का प्रचार–प्रसार केवल सरकारी स्तर तक सीमित न रख कर इसे भारत के जन–जन तक ले जाना होगा ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके। साथ ही, हमें न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रकाश फैलाने के लिए अपना योगदान देना होगा ।

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सब को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ !

जय हिंद !

(राजनाथ सिंह)

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2018

आर. के. सिंह
R. K. SINGH

सत्यमेव जयते

विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
भारत सरकार
Minister of State (Independent Charge)
for Power and New & Renewable Energy
Government of India

अपील

भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 26 जनवरी, 1950 से लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ सरकार की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों तथा अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए हिंदी का प्रचार-प्रचार एवं अभिवृद्धि सुनिश्चित करे।

भारत में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो आम जनता की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने में पूर्णत: समर्थ है। हिंदी ने अपनी मौलिकता, सरलता और बोधगम्यता के बल पर भारतीय संस्कृति और साहित्य को बनाए रखा है। हिंदी भाषा के माध्यम से ही हम सभी भारतवासी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हमें न केवल हिंदी, बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों की क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर और इंटरनेट ने विश्व में सूचना क्रांति ला दी है। वर्तमान युग में आम आदमी भी कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े बिना नहीं रह सकता। ई-गवर्नेंस का विस्तार होने से और आम जनता में ई-गवर्नेंस सेवाओं की पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक हिंदी ई-टूल्स विकसित किए गए हैं जिनसे कंप्यूटर पर हिंदी में काम करना और ऑन-लाइन सेवाएं प्राप्त करना सुगम हो गया है।

मेरा विचार है कि हिंदी के प्रचार-प्रसार को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपना सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करें तथा यथासंभव बैठकों में विचार-विमर्श हिंदी में ही करें। वरिष्ठ अधिकारीगण राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में रूचि लें और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें।

हिंदी दिवस पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

(आर.के. सिंह)

नई दिल्ली
दिनांक: 14 सितम्बर, 2018

Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110 001 Phone : +91-11-23717474, 23710411
Fax : +91-11-23710065, E-mail : raj.ksingh@gov.in